लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या– 04/ 03 /अति–4/ 2018–19
प्रयागराजः दिनांक :05 अप्रैल, 2019

प्रेस–विज्ञप्ति

सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरूष/महिला शाखा परीक्षा 2018, दिनांक 29–07–2018 को प्रदेश के 39 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा के गृह विज्ञान विषय के पुरूष शाखा में कुल 23 अभ्यर्थी तथा संगीत विषय के महिला शाखा में कुल 1935 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रश्नगत पद का चयन 150 अंकों का है। प्रश्नगत परीक्षा में गृह विज्ञान विषय में पुरूष शाखा से सम्बन्धित कुल 01 रिक्ति के सापेक्ष आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक धारित न करने के कारण उक्त रिक्ति अनभरी रह गई है, जिसे मा0 आयोग ने अग्रेनीत किये जाने की संस्तुति की है । संगीत विषय में महिला शाखा से सम्बन्धित कुल 60 रिक्तियों के सापेक्ष 60 अभ्यर्थियों का चयन औपबन्धिक रूप से किया गया है जिसे सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट **http://uppsc.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2– प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियो से यह अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाली विज्ञप्ति के अनुसार समयान्तर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3– प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–17183/2018, विजय नाथ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। याचिका संख्या–9614/2018 दिब्य प्रकाश मिश्रा व 32 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य के साथ सम्बद्व याचिका संख्या–13597/2018 विजय कुमार व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जिसमें संगीत विषय(महिला शाखा) के अभ्यर्थी भी याची के रूप में हैं, का अभ्यर्थन याचिका में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4– प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/ पदवार कट आफ अंक आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिये जायेगें। इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।